



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक- 24.04.2024

विषय:- आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में आर्म्स एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु. अर्थदण्ड।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 291/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजय कुमार राजभर पुत्र रामधनी राजभर निवासी औढ़े थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 23.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त संजय कुमार राजभर उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।